भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 589

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

589. श्री दुरई बाइकोः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुक्कोट्टई जिलों में विगत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक व्यापार और निर्यात विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पहलों के अंतर्गत लाभार्थियों और निवेश का क्षेत्रवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिलों में कोई औद्योगिक समूह, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम, संभार-तंत्र या भंडारण सुविधाएं या स्टार्टअप सहायता पहल कार्यान्वित की गई हैं या कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): निर्यात हब के रूप में जिला (डीईएच) पहल, अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य, राज्यों और जिलों को सार्थक हितधारकों के रूप में शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर निर्यात संवर्धन, विनिर्माण और रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य निर्यात संवर्धन में सहायक और जिलों में निर्यात वृद्धि संबंधी बाधाओं को दूर करने वाली राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) जैसे व्यस्थागत तंत्रों के माध्यम से चिह्नित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले की क्षमता और विशिष्ट पहचान को दिशा देना है। डीईएच के तहत, देशभर के 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है। **तमिलनाडु के पुदुकोट्टई और**

तिरुचिरापल्ली जिलों में इस पहल के तहत चिह्नित उत्पाद/सेवाएं निम्नानुसार हैं :

i. **पुदुकोट्टई जिला**– (कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, ग्रेनाइट, कॉयर और इंजीनियरिंग);
ii. **तिरुचिरापल्ली जिला**- (कृषि खाद्य प्रसंस्करण, हेवी इलेक्ट्रिकल्स और इंजीनियरिंग, रक्षा उपकरण, कृत्रिम आभूषण, पवनचक्की घटक और केला)।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों के माध्यम से स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सहायता प्रदान करती है: उद्यम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स हेतु फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), इन्क्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण वित्त-पोषण उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप्स हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस)। तमिलनाडु के लिए, 2023 और 2025 के दौरान, एफएफएस, एसआईएसएफएस और सीजीएसएस के तहत क्रमशः लगभग 568 करोड़ रुपए, 43.13 करोड़ रुपए और 84.6 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

*****